क्रम संख्या–04

पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0–30 / 2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 03 जनवरी, 2013 ई0

पौष 13, 1934 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 08 / XXXVI(3) / 2013 / 73(1) / 2012

देहरादून, 03 जनवरी, 2013

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित 'उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2012 पर दिनांक 01 जनवरी, 2013 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 04 वर्ष, 2013 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2012

{उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 04 वर्ष 2013}

{भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा अधिनियमित}

उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2011 का अग्रेतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2012 है।

(2) यह 01 नवम्बर, 2011 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

धारा 27 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2011 की धारा 27 में–

(1) खण्ड (ग) का प्रस्तर (तीन) निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात् –

"(तीन) ऐसे कृषि उत्पाद को, जो उत्तराखण्ड राज्य में किसी अन्य राज्य से अथवा देश के बाहर से प्रथम बार विक्रय, भण्डारण, प्रक्रिया, विनिर्माण, संव्यवहार या वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए मण्डी क्षेत्र में आता हैं, "प्रथम आवक" के रूप में रजिस्टर्ड किया जायेगा और ऐसे उत्पाद पर मण्डी फीस और विकास उपकर का भुगतान किया जायेगा,"

(2) खण्ड (ग) का प्रस्तर (चार) निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा, अर्थात्–

"(चार) यदि कोई विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद राज्य के भीतर के किसी मण्डी क्षेत्र में मण्डी फीस और विकास उपकर का भुगतान करके राज्य के ही किसी दूसरे मण्डी क्षेत्र से विक्रय, भण्डारण, प्रक्रिया, विनिर्माण, संव्यवहार या वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए लाया जाता है तो ऐसी आवक "द्वितीय आवक" कहलायेगी और उस पर कोई मण्डी फीस एवं विकास उपकर उद्ग्रहणीय नहीं होगा।"

(3) खण्ड (ग) के प्रस्तर (चार) के पश्चात् एक नया प्रस्तर निम्नवत् अन्तःस्थापित कर दिया जाएगा, अर्थात्–

"(पांच) यदि कोई विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद, किसी अन्य राज्य से विक्रय, भण्डारण, संव्यवहार या वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए सम्बन्धित राज्य में मण्डी शुल्क और/अथवा विकास उपकर का भुगतान करके उत्तराखण्ड राज्य के मण्डी क्षेत्र में लाया जाता है, तो ऐसी आवक पर मण्डी शुल्क और विकास उपकर उद्ग्रहीत होगा :

परन्तु यह कि अन्य राज्यों से प्रक्रिया या विनिर्माण के लिए सम्बन्धित राज्य में मण्डी शुल्क और/अथवा विकास उपकर का भुगतान करके उत्तराखण्ड राज्य के मण्डी क्षेत्र में लाया जाता है, तो ऐसी आवक "अन्य द्वितीय आवक" कहलायेगी और उस पर मण्डी शुल्क उद्ग्रहणीय नहीं होगी किन्तु देय विकास उपकर उद्ग्रहणीय होगा;"

आज्ञा से,

डी0 पी0 गैरोला,
प्रमुख सचिव।

No. 08/XXXVI(3)/2013/73(1)/2012
Dated Dehradun , January 03, 2013

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **'The Uttarakhand Agricultural Produce Marketing (Development and Regulation) (Amendment) Act, 2012'** (Adhiniyam Sankhya 04 of 2013).

As Passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 01 January, 2013.

उत्तरार

The Uttarakhand Agricultural Produce Marketing (Development and Regulation) (Amendment) Act, 2012

[Uttarakhand Act No. 04 of 2013]

{Enacted by the Uttarakhand State Assembly in the Sixty-third Year of the Republic of India}

An

Act

further to amend the Uttarakhand Agricultural Produce Marketing (Development and Regulation) Act, 2011.

Short title and Commencement

1. (1) This Act may be called the Uttarakhand Agricultural Produce Marketing (Development and Regulation) (Amendment) Act, 2012.

(2) It shall be deemed to have come into force from 01 November, 2011.

Amendment of section 27

2. In the section 27 of the Uttarakhand Agricultural Produce Marketing (Development and Regulation) Act, 2011-

(1) para (iii) of clause (C) shall be substituted as follows: namely-

"**(iii)** any such agricultural produce, which arrives in any Market area of the State for sale, storage, processing, manufacturing, transaction or other commercial purposes from any other State or out of Country for the first time it shall be registered as "Primary Arrival" and on such produce, Market fee and Development cess shall be payable;"

(2) para (iv) of clause (C) shall be substituted as follows namely-

"**(iv)** any agricultural produce, which is brought to any Market area within the State after the transaction of sale from any other Market area of the State after paying Market fee and Development cess for th

purpose of for sale, storage, processing, manufacturing transaction or other commercial purpose's, it shall be called as " Secondary Arrival" and on such produce no Market fees and Development cess shall be liveable;"

(3) a new para after para (iv) of clause (C) shall be inserted as follows: namely-

"(v) any agricultural produce, which is brought to any Market area from out side Uttarakhand State for sale, storage, transaction or commercial purpose after paying Market fee and/ or Development cess than Market fees and Development cess shall be liveable on such produce :

Provided that brought to Market area from outside Uttarakhand State for processing or manufacturing purpose after paying Market fee and/ or Development cess from concerning State than it shall be called as "Other Secondary Arrival" and no Market fee shall be liveable however due Development cess shall be liveable;"

By Order,

D. P. GAIROLA,
Principal Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 05 विधायी/08–2013–100+500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।